राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर
आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत आवेदन-पत्र संख्या 14227/2015
अल्ली उर्फ अलीशेर बनाम राज. राज्य

30.11.2015

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रशान्त कुमार अग्रवाल

श्री अनिल उपमन, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री आर आर बैसला, अभियोजक वास्ते राज्य।

अभियुक्त-प्रार्थी ने अपनी जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन प्रस्तुत किया है। इस पर अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी व विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध कराई गई सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध कराई गई सामग्री तथा अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गई साक्ष्य, जिसे आरोप पत्र की प्रतिलिपि के रूप में पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है तथा विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी को इस मामले में सह-अभियुक्तगण द्वारा दी गई सूचना के आधार पर लिप्त किया गया है, को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण दोषों के संबंध में किसी प्रकार का कोई मत अभिव्यक्त किये बिना, प्रकरण में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 439 के प्रावधान आकर्षित करते हुए मैं, प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र करना न्यायोचित समझता हूं।

अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अल्ली उर्फ अलीशेर पुत्र सिरदार विचारण न्यायालय के संतोषानुसार रूपये 50,000/-(अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व रूपये 25,000-25,000/- की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी को पुलिस थाना- टपूकडा पर पंजीबद्व प्राथमिकी संख्या 328/2013 में, यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे इस शर्त के साथ अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित रहेगा।

(न्या0 प्रशान्त कुमार अग्रवाल)

बीएल जैन/58

All corrections made in the judgement/order have been incorporated in the judgement/order being emailed.

B.L. Jain, PS